

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर-भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ-7(39)जन/बजट/2016/पार्ट/5145 दिनांक : 24.5.2016

-: आदेश :-

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में वर्णित दस्तावेजों पर निर्धारित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय है। इस अधिनियम की धारा-17 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान दस्तावेज के निष्पादन से पूर्व या निष्पादन के समय या निष्पादन के दिन के अगले कार्य दिवस तक आवश्यक रूप से किये जाने का प्रावधान है।

विभाग के ध्यान में आया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों एवं उपक्रमों यथा नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर परिषद, नगर विकास न्यास, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, कृषि उपज मण्डलों एवं मण्डी समितियों, रीको, ग्राम पंचायत, उद्योग विभाग, खान विभाग इत्यादि द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में वर्णित बहुत से दस्तावेज निष्पादित किये जाते हैं, लेकिन ऐसे दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की वसूली धारा-17 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित समय पर नहीं की जा रही है।

उपरोक्त उल्लेखित की गई संस्थाओं द्वारा सामान्यतयः भूमि आवंटन/नियमन आदि के संबंध में जिन दस्तावेजों का निष्पादन किया जाता है, ऐसे दस्तावेजों का विवरण एवं उन पर देय स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में वर्तमान में प्रभावी अधिसूचनाओं/प्रावधानों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	दस्तावेज का विवरण	स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में लागू अधिसूचना/प्रावधान
1.	भू-उपयोग परिवर्तन एवं भू-रूपान्तरण आदेश	अधिसूचना क्रमांक F.4(6)FD/Tax/ 2016-221 दिनांक 08.03.16
2.	आवंटन/विक्रय के आधार पर निष्पादित हस्तान्तरण पत्र एवं लीजडीड	अधिसूचना क्रमांक F.4(15)FD/TAX/2014-54 दिनांक 14.07.14
3.	भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90ए के अन्तर्गत नियमन पश्चात् जारी लीजडीड	अधिसूचना क्रमांक F.4(15)FD/TAX/2014-55 दिनांक 14.07.14 सपटित अधिसूचना क्रमांक F.2(60)FD/Tax/ 2012-70 दिनांक 24.07.15 एवं सपटित अधिसूचना क्रमांक F.4(6)FD/Tax/ 2016-215 दिनांक 08.03.16
4.	टाउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत निष्पादित लीजडीड	अधिसूचना क्रमांक प.2(37)वित्त/कर/2010- 125 दिनांक 08.03.11
5.	भूमि के बदले आवंटित विकसित भूमि के संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा निष्पादित लीजडीड	अधिसूचना क्रमांक प.2(6)वित्त/कर/03-43 दिनांक 30.08.07
6.	भूमि के बदले आवंटित विकसित भूमि के संबंध में रीको द्वारा निष्पादित लीजडीड	अधिसूचना क्रमांक प.2(6)वित्त/कर/93-37 दिनांक 25.08.08
7.	इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी. एल. आवास योजना के तहत आवंटित आवासों के दस्तावेज	अधिसूचना क्रमांक F.2(55)FD/Tax/12-33 दिनांक 12.07.2012
8.	सॉलिड वेस्ट मेनमेजमेंट प्लांट के संबंध में निष्पादित लीजडीड	अधिसूचना क्रमांक F.2(56)FD/Tax/12-52 दिनांक 21.08.2012
9.	EWS एवं LIG वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित किये जाने 325 वर्ग फीट एवं 525 वर्ग फीट के आवासों के संबंध में निष्पादित हस्तान्तरण पत्र एवं लीजडीड	अधिसूचना क्रमांक F.2(82)/FD/TAX/2010-97 दिनांक 30.11.2010
10.	मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत के अन्तर्गत EWS एवं LIG वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित किये जाने 325 वर्ग फीट एवं 525 वर्ग फीट के आवासों के संबंध में निष्पादित हस्तान्तरण पत्र एवं लीजडीड	अधिसूचना क्रमांक F.4(6)FD/Tax/2016-220 दिनांक 08.03.16



11.	सर्टिफिकेट ऑफ सेल	The same duty as on a conveyance (No. 21) for consideration equal to the amount of the purchase money or market value of the property, whichever is higher.
12.	सरेन्डर ऑफ लीज	100/- rupees
13.	खनन लीज	अधिसूचना क्रमांक F.4(15)FD/Tax/2014-52 दिनांक 14.07.14
14.	खनन प्रयोजन के लिये खातेदार से लिये जाने वाला सहमति पत्र	अधिसूचना क्रमांक प.2(18)वित्त/कर- अनु./96 दिनांक 15.01.98
15.	लवण लीज	अधिसूचना क्रमांक F.2(18)वित्त/कर/96 पार्ट-28 दिनांक 10.07.07
16.	वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट	0.25 percent of the amount or value set forth in such contract subject to maximum of rupees 15,000/-
17.	सामान्य इकरारनामा	500/- rupees
18.	शपथ पत्र	50/- rupees

उपरोक्त अधिसूचनाएँ वित्त विभाग की वेबसाईट <http://finance.rajasthan.gov.in> एवं वर्ष 2009 से आदिनांक तक की अधिसूचनाएँ एवं स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित प्रावधान विभागीय वेबसाईट <http://igrs.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि बिन्दु संख्या 16, 17 एवं 18 में वर्णित दस्तावेजों को छोड़कर शेष दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर 20 प्रतिशत की दर से सरचार्ज भी देय है। (10 प्रतिशत अधिभार राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-152 दिनांक 09.03.11 एवं 10 प्रतिशत अधिभार अधिसूचना क्रमांक प.4(6)वित्त/कर/2016-233 दिनांक 08.03.16 कुल 20 प्रतिशत अधिभार)

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई राज्य अधिसूचना क्रमांक प.2(20)वित्त/कर-अनु./97 दिनांक 16.12.97 के द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालय, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं, समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनीज, नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया हुआ है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-37 के अनुसार प्रत्येक लोक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत होता है, जिस पर स्टाम्प ड्यूटी देय है लेकिन पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया है वह ऐसे दस्तावेज को जब्त कर स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण एवं वसूली हेतु संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) को भिजवायेंगे।

इसी प्रकार इस अधिनियम की धारा-39 में प्रावधान है कि कोई भी लोक अधिकारी अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर ना तो कोई कार्यवाही करेंगे ना ही ऐसे दस्तावेज को सत्यापित करेंगे।

लोक अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित किया जाता है जो कि अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित (not duly stamped) है तो ऐसा कार्य राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 73 के तहत अपराध है और 5000/- रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय है।

अतः राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-17 के उक्त प्रावधान तथा इसके तहत दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की वसूली के संबंध में लोक अधिकारियों पर आरोपित कर्तव्यों के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उक्त दस्तावेजों पर नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं अधिभार की राशि उपरोक्त संस्थाओं द्वारा लीजडीड/हस्तान्तरण पत्र/आदेश आदि दस्तावेज जारी करने से पूर्व ही पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के निम्नलिखित आय मद में जमा कराने के पश्चात् ही जारी की जावें :-

- 0030 - स्टाम्प और पंजीकरण
- 02 - स्टाम्प न्यायिकेत्तर (Non Judicial)
- 103 - दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना
- (01) - दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना



800 - अन्य प्राप्तियां


02 - स्टाम्प शुल्क पर अधिभार

03 - स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्द्धन/संरक्षण हेतु अधिभार

राजस्व हित में उपरोक्त प्रावधानों की तत्काल प्रभाव से पालना सुनिश्चित करने के लिये सक्षम स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश अविलम्ब जारी किये जावें एवं इस आदेश की अनुपालना में यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भूल या लापरवाही की जाती है तो संबंधित विभागीय नियंत्रण अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।

उपरोक्त आदेश की क्रियान्विति में यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस हो तो संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के कार्यालय अथवा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से सम्पर्क कर निराकरण करवा सकते हैं।

उपरोक्त आदेश वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(के.बी. गुप्ता)
महानिरीक्षक

क्रमांक : एफ-7(39)जन/बजट/2016/पार्ट/5146-5988

दिनांक : 24.5.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त प्रमुख सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान औद्योगिक विकास निगम (रीको), जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
9. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर।
10. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. निदेशक, कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान जयपुर।
12. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास/नगर परिषद, राजस्थान।
15. अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर पालिका, राजस्थान।
16. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर/अजमेर।
17. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
18. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय अजमेर को विभागीय वेबसाइट <http://igrs.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करने के लिये।
19. समस्त उप पंजीयकगण (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।


महानिरीक्षक